न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या.....33...../2025 धारा 163 भा0ना0सु0सं0

महेश पंडित **बनाम्** **भागवत सिंह वगैरह**

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई क बारे में टिप्पणी तारीख सहित
28/02/25	अभिलेख उपस्थापित। **आवेदक महेश पंडित, पिता- स्व0 हीरो पंडित, ग्राम- बिराजी, पो0- बागोडीह, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह** के द्वारा समर्पित किया गया आवेदन पत्र के अवलोकन के बाद मै संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर है। इस बात से मै संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 07-3-25..... को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक ...07-3-25..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 25-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) 25-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7/3/25	आय पक्ष वकालतन उपस्थित। आय पक्ष 12/3/25 को W/S दाखिल करें। Next date 12/3/25 [signature] 7/3/25	
12/3/25	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। आय पक्ष के द्वारा लिखित कथन पृच्छा दाखिल। अंचल अधिकारी, सदर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अगली तिथि 28/3/25 [signature] 12/3/25	97 12/3/25
28/3/25	उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 11/4/25 को रखें। [signature] 28/3/25	
11-4-25	आय पक्ष उपस्थित। अंचल अधिकारी सदर का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। द्वितीय पक्ष के द्वारा कुछ अखबार के खबर की प्रति जमा किया गया। आय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। आदेश हेतु। [signature] 11/4/25	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11-4-25	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। **आदेश** (वाद-33/25) (भा॰ ना॰ सु॰ सं॰ की धारा 163 के तहत) प्रथम पक्ष के आवेदन के सत्यापनोपरांत अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया एवं अन्य पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की गई। प्रथम पक्ष के अनुसार विवादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज को हुकुमनामा के जरिए प्राप्त है वहीं द्वितीय पक्ष का कहना है कि भूमि उन्हें सदामदी रकरारनामा से प्राप्त है। विवाद के विषय में दखल कब्जा का बिन्दु अंतर्निहित है तथा वर्तमान में भी विवाद लोक परिशांति भंग करने की हद तक बढ़ सकता है। अतः वाद के निपटारे हेतु अग्रेतर विवेचन आवश्यक है अतः प्रस्तुत वाद को भा॰ ना॰ सु॰ सं॰ की धारा 164 में परिणत किया जाता है। अन्य पक्ष को इस आशय का नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाई हेतु 27/5/25 को सूचीबद्ध करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 11-4-25 (हस्ताक्षर) 11-4-25 अनु॰ दण्डा॰ जगोदर-खलिया अनु॰ दण्डा॰ जगोदर-खलिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.29 13:25:55 +05:30
Location: 192.168.137.1